

फॉर्म—ए

सार्वजनिक सूचना

भारत के दिवालियापन एवं दिवालियापन बोर्ड के नियमन-6 के अन्तर्गत विनियम 2016, के तहत

(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया रिजोल्यूशन प्रक्रिया)

एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड और डिस्नेट वायरलेस के लेनदारों के घ्यानाकर्षण हेतु।

प्रासंगिक विवरण

1	कॉर्पोरेट ऋणदाता का नाम	एयरसेल लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट ऋणदाता के निगमन की तिथि	20 दिसम्बर 1994
3	प्राधिकरण का नाम जिसमें कॉर्पोरेट देनदार शामिल/पंजीकृत है	आर ओ सी— मुम्बई कंपनी अधिनियम 1956 के तहत
4	कॉर्पोरेट ऋणदाता की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U32201MH1994PLC284030
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और कॉर्पोरेट देनदार के प्रधान कार्यालय का पता (यदि कोई हो तो)	पंजीकृत कार्यालय: ओपस सैक्टर, 47 सेंट्रल रोड के सामने दुगा पैराडाइज, एम.आई.डी.सी. अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093, महाराष्ट्र (भारत) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय: 5वां तल, बिल्डिंग न. 10ए डी.एल.एफ. साईबर सिटी, गुरुग्राम हरियाणा-122002
6	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन के आरम्भ की तिथि	12 मार्च 2018
7	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बन्द करने की अनुमति तिथि	प्रस्ताव प्रक्रिया की आरम्भ तिथि से 180 दिन जोकि 8 सितंबर 2018 है।
8	नाम, पता, ईमेल अंतरिम पेशेवर के पंजीकृत की संख्या	नाम: विजय कुमार अच्युत पंजीकृत पता: डेलाइट टॉच, तोहमात्सु इंडिया एल.एल.पी., इंडियाबुल्स फाइनेन्स सेन्टर टॉवर 3, 27वीं मंजिल, सेनापतिवापत मार्ग, एलिफन्टन रोड (पश्चिमी) मुम्बई — 400013, महाराष्ट्र, भारत वियर@deloitte.com पत्राचार का पता— 22वीं तल, डी.एल.एफ. एपिटोम बिल्डिंग न. 5, टॉवर ए, साईबर सिटी, डी.एल.एफ. फेस-3, गुरुग्राम हरियाणा-122002, भारत रजिस्ट्रेशन— IBBI/IPA-001/IP-P00261 /2017-18/10490 ई-मेल : inaircelip@deloitte.com
9	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28 मार्च 2018 ##

अंतरिम संकल्प पेशेवर की नियुक्ति हेतु एनसीएलटी मुम्बई के द्वारा 12 मार्च 2018, को आदेश पारित किया गया परंतु यह 14, मार्च 2018 को एनसीएलटी द्वारा जारी किया गया एवं एनसीएलटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया तथा उसी तिथि को अंतरिम रेजोल्यूशन पेशेवर को उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार दावों के प्रस्तुतीकरण का समय 14 दिन, 14 मार्च 2018 से आरम्भ माना गया है।

सूचित किया जाता है कि नेशनल लॉ ट्रिब्युनल ने 12 मार्च, 2018 का एयरसेल लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

एयरसेल लिमिटेड के लेनदारों को उनके दावों के खिलाफ सबूत अंतरिम रेजोल्यूशन पेशेवर को 28 मार्च, 2018 तक या उससे पहले उपरोक्त क्रमांक 8 में दिये गये पते पर किया जा सकता है।

वित्तीय लेनदारों के द्वारा अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ही करना होगा। अन्य सभी लेनदारों द्वारा उनके दावों का प्रमाण, लेनदारों व्यक्तिय द्वारा, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम के द्वारा भेजा जा सकता है।

दावों के सबूत का प्रारूप दिवालियापन और भारत के दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला का निवारण प्रक्रिया) विनियम 2016 एवं “सीआईआरपी” रेग्युलेशन्स के माध्यम 4 के निर्देशानुसार ही बनाना होगा। दावों का प्रमाण सीआईआरपी विनियमों में निम्नलिखित विशिष्ट रूपों के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

- फॉर्म बी— परिचालन ऋणदाताओं द्वारा दावों के लिये
- फॉर्म सी— वित्तीय लेनदारों के द्वारा दावों के लिये
- फॉर्म डी— कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिये
- फॉर्म ई— कर्मचारियों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के लिये
- फॉर्म एफ— लेनदारों द्वारा दावों के लिये (वित्तीय लेनदारों एवं परिचलात्मक लेनदारों के अलावा)

फॉर्म की प्रति आप बैबसाइट (<http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html>) से और सीआईआरपी विनियमों से उपर्युक्त फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दावों की झूठी और भ्रामक प्रविष्टि दण्डनीय होगा।

अंतरिम पेशेवर के नाम और हस्ताक्षर

हस्ता/—

विजय कुमार वी अच्युत

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 16 मार्च, 2018